

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

1268

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / /2021

दिनांक: 05.06.2021

श्री नरेश कुमार जैन (RJ0890), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-02, (जोधपुर महानगर), जोधपुर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किए जाते हैं:-

1. दिनांक 23.04.2021 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश।
2. दिनांक 24.04.2021 से 07.05.2021 तक 14 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 08.05.2021 से 09.05.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित।

श्री जैन की अनुपस्थिति में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-05, (जोधपुर महानगर), जोधपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-02, (जोधपुर महानगर), जोधपुर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/61/2015/3720

दिनांक: 05.06.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, (जोधपुर महानगर), जोधपुर को उनके पत्रांक 2907 दिनांक 11.05.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्री नरेश कुमार जैन (RJ0890), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-02, (जोधपुर महानगर), जोधपुर।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-02, (जोधपुर महानगर), जोधपुर।
5. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-05, (जोधपुर महानगर), जोधपुर।

रजिस्ट्रार